फर्द अहकाम

राजू बनाम तुलसी व अन्य

यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ख्या 17/2023 (प्रा. पत्र बाजदावी)

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र बाजदावी पर (अप्रार्थी की) सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 30/07/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	30/7/24	आज दिनांक 30/07/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08/08/24 को पेश हों।	अधिवक्ता वादी को बहस सुनी प्रतिवादी ने समय चाहा 19.7.24
	08/08/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र बाजदावी के तथ्यों पर मनन किया। व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र बाजदावी प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि मूल प्रकरण दिनांक 16.11.22 को प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 22.08.23 को अप्रार्थी/प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत थी। उक्त दिवस को मिन प्रार्थी वादी को प्रकरण में आगामी तारीख सहवन से दिनांक 26.09.23 नोट हो गई थी। जिससे दिनांक 26.09.23 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने पर प्रकरण के दिनांक 23.08.23 को ही अदम हाजरी में खारिज हो जाने की जानकारी हुई।	

P.T.O.

फर्द अहकाम

राजू बनाम तुलसी

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

केस संख्या 17/2023 (प्रा. पत्र बाजदायरी)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/08/24	जिस पर दिनांक 03.10.23 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अविलम्ब प्रार्थनापत्र दिनांक 12.10.23 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। जो जानकारी के आधार पर समयावधि में प्रस्तुत है। मूलवाद के दिनांक 23.8.23 को अदम हाजरी में खारिज होने में मिनु प्रार्थी की कोई लापरवाही अथवा अनैतिक मंशा नहीं थी, ना ही उक्त दिवस को पत्रावली मिन प्रार्थी की कार्यवाही हेतु नियत थी अपितु पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी / प्रतिवादी हेतु नियत थी, परन्तु सहवन से गलत तारीख पेशी नोट हो जाने से प्रार्थी की उपस्थिति नहीं हो सकी थी। जो कि तथ्यों के दृष्टिगत क्षम्य अपेक्षित है। अप्रार्थी-1 की ओर से प्रार्थनापत्र के तथ्यों का खंडन करते हुए अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा बावजूद जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा भूमि के संबंध में पक्षकारान के पूर्व में राजीनामा व विभाजन हो चुका था। इसीलिए प्रार्थी वादी द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा अब प्रकरण में अनावश्यक व्यवधान के उद्देश्य से पुन: वाद को नम्बर पर लिए जाने की इस्तदुआ चाही गई है। अत: प्रा. पत्र स्वीकार नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

P.T.O.

फर्द अहकाम

राजू बनाम तुलसी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

17/2023 (प्रा. पत्र बाजदायरी)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08/08/24	पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल प्रकरण अप्रार्थी प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत रहते अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिससे प्रार्थी/वादी के प्रस्तुत तथ्य प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के प्रस्तुत तथ्य साक्ष्य के विषय हैं। जिसके अनुसार वाद का (मूलवाद) निस्तारण पृथक विषय है। अत: न्यायहित के दृष्टिगत प्रा. पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूलवाद को पुन: नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। वाद तकमील शामिल संपत्र हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर	